ग्राम पंचायत मनसिम्बल, विकास खण्ड सुलह (भेडू महादेव), जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मनसिम्बल, विकास खण्ड सुलह (भेडू महोदव), जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री मुकेश चन्द	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती सीमा धीमान	23.1.16 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री कुलदीप धीमान	1.4.2014 से 21.8.2016
2.	श्री कुलविन्दर कमल	22.8.2016 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत मनसिम्बल के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखो में)
1	5	रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर पाया जाना	0.04
2	9	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना	0.31
3	10	अनुदान राशि का उपयोग न करना प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय करना	13.33
4	11	प्राक्कलन तैयार किये बिना स्टाक/स्टोर का	14.31

		क्रय करना	
5	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टाक/स्टोर का क्रय करना	1.20
6	13	मजदूरो को मस्टर रोलों के माध्यम से किये गये भुगतान से सम्बंधित कार्य प्रगति को माप पुस्तिकाओं में दर्ज न करना	6.86

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

ग्राम पंचायत मनसिम्बल, विकास खण्ड सुलह (भेडू महादेव) जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी एवं श्री ध्रुव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षा द्वारा दिनांक 11.8.2017 से 17.8.2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय की जाँच के लिए चयनित माह**	**व्यय की जाँच के लिए चयनित माह**
2014–15	1/2015	2/2015
2015–16	2/2016	6/2015
2016–17	3/2017	3/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्कः–**

ग्राम पंचायत मनसिम्बल, विकास खण्ड सुलह, (भेडू महोदव) जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 003 दिनांक 17.8.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मनसिम्बल से अनुरोध किया गया। तदानुसार

सचिव ग्राम पंचायत मनसिम्बल द्वारा ड्राफ्ट संख्या 087027 दिनांक 24.8.2017 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

4 **वित्तीय स्थितिः–**

ग्राम पंचायत मनसिम्बल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) स्वः स्त्रोत एवं अनुदानः–

ग्राम पंचायत मनसिम्बल के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों (विविध) की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

		प्राप्ति		**योग**	**व्यय**		**अन्तिम शेष**
वर्ष	**अथशेष**	**स्वःस्त्रोत**	**अनुदान**		**स्वःस्त्रोत**	**अनुदान**	
2014–15	511283.50	32164.00	1399143.00	1942590.50	26622.50	1475946.00	440022.00
2015–16	440022.00	42715.00	2047869.00	2530606.00	31752.00	1485630.00	1013224.00
2016–17	1013224.00	83905.00	1471622.00	2568751.00	31971.00	1081947.00	1454833.00

दिनांक **31.3.2017 को अन्तशेष**

रोकड़ बही	₹1454833.00
बैंक में जमा	₹1468758.00

क्र0 सं0	**बैंक**	**खाता सं0**	**दिनांक 1.4.14 को अथशेष**	**दिनांक 31.3.17 को अन्तशेष**
1	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक भवारना	20093003934	143144.50	106811.00
2	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक भवारना	50055793763	135067.00	1271063.00
3	हिमाचल ग्रामीण बैंक भवारना	88050100037857	45914.00	4577.00
4	हिमाचल ग्रामीण बैंक भवारना	88050400054356	84.00	96.00
5	हिमाचल ग्रामीण बैंक भवारना	88050400054365	576.00	40961.00
6	हिमाचल ग्रामीण बैंक भवारना	88050400054347	97116.00	40018.00
7	हिमाचल ग्रामीण बैंक भवारना	88050400054387	88023.00	5199.00
8	हिमाचल ग्रामीण बैंक भवारना	88050400054374	695.00	33.00
	कुल योग		**510619.50**	**1468758.00**

(ख) आई0 डबल्यू0 एम0 पी0 :–

ग्राम पंचायत मनसिम्बल के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक **आई0 डबल्यू0 एम0 पी0 (IWMP)** की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अंतशेष**
2014-15	63000.00	156273.00	219273.00	212444.00	6829.00
2015-16	6829.00	277.00	7106.00	–	7106.00
2016-17	7106.00	4357.00	11463.00	825.00	10638.00

दिनांक 31.3.2017 को अंत शेषः–

रोकड़वही	₹10638.00
बैंक	₹61748.00

हिमाचल ग्रामीण बैंक भवारना

खाता सख्या– 88050400054392	₹1374.00
88051700076246	₹10374.00
88050400054426	₹50000.00
कुल	₹61748.00

नोटः– आई0 डबल्यू0 एम0 पी0 की रोकड़ बही व बैंक शेष का समाधान विवरण (bank reconciliation statement) संलग्न है।

बैंक समाधान विवरण (IWMP) :-

रोकड़ वही अनुसार अंतशेष ₹10638

जमा : प्राप्त किए गए ब्याज की प्रविष्टी रोकड़वही मे न करना

1. खाता संख्या : 88051700076246

03.06.2016	=	₹65.00
03.06.2016	=	₹1.00
05.09.2016	=	₹67.00
02.12.2016	=	₹65.00
07.03.2017	=	₹82.00
कुल		**₹280.00**

2. खाता संख्या : 8850400054782

	03.06.2016 =	₹5.00	= ₹285.00
जमाः	दिनांक 3–2017 कों खाता संख्या 88050400054382 से चैक सं0 114605 के माध्यम से निकासी की गई परन्तु इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई	₹825.00	= ₹825.00
जमाः	दिनांक 04.03.2017 व 22.03.2017 को विकास खण्ड भेड़ू महादेव से 25000+2500 का अनुदान प्राप्त हुआ परन्तु दिनांक 31.03.2017 तक इस राशि की प्रविष्टि रोकड़वही में नही की गई।	₹50000	=₹50000
	दिनांक 31.03.2017 को बैंक पास बुकों अनुसार अन्तशेष		₹61748.00

(ग) मनरेगा :–

ग्राम पंचायत मनसिम्बल के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 (मनरेगा) की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अंतशेष**
2014-15	0.00	996476.00	996476.00	996476.00	0.00
2015-16	0.00	1574634.00	1574634.00	1574634.00	0.00
2016-17	0.00	1565830.00	1565830.00	1565830.00	0.00

दिनांक 31.3.2017 को अंतशेष :

रोकड़वही = 0.00

बैंक = 0.00

हिमाचल ग्रामीण बैंक भवारना खाता सं0 880501000055260

नोटः– दिनांक 7.4.2015 करे बैंक खाता बंद कर दिया गया ।

नोटः– ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 1 से 3** में भी दिया गया है।

5 रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹0.04 लाख का अन्तर :–

ग्राम पंचायत मनसिम्बल के स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹3925.00 का अन्तर पाया गया जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था।

अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों से बैंक खातों का मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में न तो अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज की गई है न ही पंचायत की आय/प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ रोकड़ बहियों में दर्ज है। पंचायत द्वारा केवल मात्र प्राप्त आय एवं व्यय को ही रोकड़ बही में दर्ज कर उस का शेष शून्य कम दिया जा रहा है, जो न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है अपितु लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है, क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बही के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करने उपरान्त एवं व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम किया जाता है। तथा अन्तिम शेष की प्रविष्टियां को आगामी कार्य दिवस/पृष्ठ के अथशेष के रूप में दर्शाया जाता है किन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखांकन में नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना की जा रही है। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 एवं 10 तथा अन्य सम्बन्धित नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाये जाने के कारण पंचायत की वित्तीय स्थिति अंकेक्षण अवधि दर्शाने/बनाने हेतु 1.4.2014 को पंचायत के सम्बन्धित रोकड़ बही के बचत खाते में जमा शेष राशि को वर्ष 2014–15 का अथशेष के रूप में दर्शाया गया है।

अतः पंचायत को अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों को नियमानुसार लेखांकन किया जाना सुनिश्चित करते हुये भविष्य में भी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये।

7 **निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–**

पंचायत की रोकड बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्टः 4** में दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशियों को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि (वित्त बजट लेखे, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आमतिजनक है। अतः नियमों के विपरित हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखना सुनिश्चित किया जाए।

8 **बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा के पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र पर तैयार नहीं किया गया है। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने/निर्धारित प्रपत्र पर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 **पंचायत राजस्व ₹0.31 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–**

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹31470 की वसूली शेष थीः–

1. गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष (₹)
2014–15	0.00	19650.00	19650.00	11670.00	7980.00
2015–16	7980.00	19650.00	27630.00	26910.00	720.00
2016–17	720.00	25650.00	26370.00	23400.00	2970.00

मोबाइल टावरः–

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष (₹)
2014–15	19000.00	2500.00	21500.00	0.00	21500.00
2015–16	21500.00	2500.00	24000.00	0.00	24000.00
2016–17	24000.00	8500.00	32500.00	4000.00	28500.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

10 अनुदान ₹13.33 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट—5** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹1332604.50 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पचांयत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर के उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्र्यापण सम्बंधित संस्था को किया जाये।

11 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹14.31 लाख अनियमित व्यय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 6** में दिये गये विवरणानुसार निर्माण कार्यो में (₹1431134) का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गये व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा किए गये व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.20 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट—7** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹120197 के स्टाक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः

स्टाक / स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक / स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 पंचायत द्वारा मजदूरों को मस्ट्रोलों के माध्यम से किये गए ₹6.86 लाख के भुगतान से सम्बन्धित कार्य प्रगति को माप पुस्तिकाओं मे दर्ज न करने के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में ₹685815 का भुगतान **परिशिष्ट–8** अनुसार ग्राम पंचायत के विभिन्न विकासात्मक कार्यो हेतू मजदूरो को मजदूरी के रुप में मस्टोलों के माध्यम से किया गया है। जांच में पाया गया कि उक्त मस्टररोलो में मजदूरों द्वारा किए गए कार्य प्रगति के विवरण से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं का उल्लेख इन मस्टरोलों में दिया है किन्तु माप पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया कि संलग्न परिशिष्ट में दी गई माप पुस्तिकाओं व सम्बन्धित पृष्ठों में मजदूरों द्वारा किए गए कार्य विवरण कार्य प्रगति का कोई भी उल्लेख नहीं दिया गया है एवं माप पुस्तिकाओं में केवल मात्र कार्य, कार्य का नाम मस्टररोल, क्रमांक, मस्टररोल की अवधि तथा मस्टररोल की राशि दिखाई गई है।

ग्राम पंचायत द्वारा मस्टररोलों से किए गए मजदूरी के भुगतान से सम्बन्धित कार्य की कार्य प्रगति को माप पुस्तिकाओं मे दर्ज न करने कारण किए गए मजदूरी के भुगतान को उचित नही ठहराया जा सकता है। क्योंकि कार्य प्रगति के अभाव में मजदूरो को मजदूरी के रुप में अधिक भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस बात की जांच भी वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी कि दर्शाए गए कार्य वास्तव में किए गए है या नहीं ।

अतः इस सन्दर्भ में विभागीय स्तर पर जांच करने उपरान्त वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाने के अतिरिक्त किए गए कार्य की कार्य प्रगति को माप पुस्तिकाओं में दर्ज न करने के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाए एवं यदि यह कार्य वास्तव में किए गए है तो इन कार्यों की कार्य प्रगति को माप पुस्तिकाओं मे दर्ज करने के उपरान्त जांच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा उक्त वर्णित समस्त भुगतान व्यय की वसूली सम्बन्धित उतरदायी से करने उपरान्त पंचायत में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

14 हिमऊर्जा, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को भुगतान की ₹3.69 लाख में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत मनसिम्बल द्वारा स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़बही से वाउचर सं0 79 दिनांक 06.03.2017 द्वारा ₹368544 का भुगतान मै0 हिमऊर्जा कांगड़ा स्थित धर्मशाला

को चैक सं0 HIMURJA/KGR/DMA/SPV VIII-/ 2015-883 दिनांक 15.03.2017 के सन्दर्भ में दर्शाया गया है। उक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियां है, जिनका निराकरण अपेक्षित है।

(क) ग्राम पंचायत द्वारा हिमऊर्जा को भुगतान की गई राशि 24 न0 सोलर लाइटस के क्रय हेतु दर्शाया गया है किन्तु फर्म से बिल प्राप्त नही किया गया है अभिलेख में केवल रसीद संलग्न है। बिना बिल के भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः फर्म से बिल प्राप्त न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये यथाशीघ्र बिल प्राप्त किया जाए एवं जांच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा प्राप्त सोलर लाइटस की न तो स्कधं प्रविष्टि की गई है तथा न ही उनके आगामी निपटारे से सम्बंधित अभिलेख का रखरखाव किया गया है, जिसके अभाव में उक्त क्रय/व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः इस सन्दर्भ में विभागीय स्तर मर जांच करते हुये यदि यह सोलर लाइटस वास्तव में क्रय की गई है तो इसकी संभव प्रविष्टि, स्कन्ध पंजिका में करने उपरान्त इसके आगामी निपटारे से सम्बंधित अभिलेख का भी नियमानुसार सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ताकि उसकी तदानुसार जांच की जा सके।

15 विविधः—

(क) ग्राम पंचायत मनसिम्बल द्वारा मनरेगा रोकड़बही से वर्ष 2015—16 में वाउचार सं0 56 दिनांक 16.06.2015 द्वारा ₹13020 का भुगतान मै0 एच0 पी0 एग्रो इण्डस्टरी कार्पोरेशन, मारण्डा को इण्टरलिंक चैन की खरीद हेतु उनके प्रोफोर्मा बिल द्वारा किया गया दर्शाया गया है, किन्तु पंचायत द्वारा उक्त क्रय का फर्म से बिल प्राप्त नहीं किया गया है एवं न ही उसकी प्रविष्टि तथा आगामी निपटारे से सम्बंधित अभिलेख का रख रखाव किया गया है, जिसके अभाव में उक्त क्रय को उचित नही ठहराया जा सकता है। अतः उक्त वर्णित वाउचर द्वारा किये गये भुगतान का बिल शीघ्र सम्बंधित फर्म से प्राप्त करने उपरान्त नियमानुसार उसकी प्रविष्टि की जाए एवं आगामी निपटारे से सम्बंधित अभिलेख का रखरखाव करतें हुये वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा सीमेन्ट का क्रय हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम से किया जा रहा है एवं उक्त क्रय का भुगतान पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम को उनके द्वारा प्रस्तुत ट्रांसफर चालान (Transfer Challan) पर किया जा रहा है, जबकि नियमानुसार फर्म को भुगतान उनके द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर किया जाना अपेक्षित था। पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा चर्चा के दौरान

बताया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा बिल जारी नहीं किया जाता है एवं Transfer Challan जो कि गाड़ी के साथ आता है यही दिया जाता है।

पंचायत द्वारा बिना बिल प्राप्त किये फर्म को किया गया भुगतान नियमानुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये अंकेक्षण अवधि में ट्रांसफर चालान के आधार पर किये गये समस्त क्रय/भुगतान के नियमानुसार बिल प्राप्त किये जाएं एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाये जाने के अतिरिक्त भविष्य में क्रय किये जाने वाले सीमेन्ट के नियमानुसार बिल प्राप्त किये जाए।

इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा क्रय सीमेन्ट की नियमानुसार प्रविष्टियां एवं उनके आगामी निपटारे/खपत से सम्बंधित अभिलेख का रख रखाव भी नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार सम्पूर्ण वांछित अभिलेख का रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विनिधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1) 27 (1)
2	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन रजिस्टर	11 व 12	37, 38
6	अनुपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

17 **प्रत्यक्ष सत्यापनः–**

हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत के द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता के अतिरिक्त मजदूरो द्वारा किये गये कार्य की कार्य प्रगति को माप पुस्तिकाओं में दर्ज करने बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये भविष्य में इस पर अपेक्षित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 152/2017–खण्ड–1–949–952 दिनाँक 09.02.2018
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत मनसिम्बल, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881